भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3037

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत अवसंरचना की स्थिति

3037. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री भोला सिंह:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी विद्युत योजनाओं की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समितियों के उद्देश्य, संरचना, कार्य इत्यादि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जन प्रतिनिधियों की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(घ) गठित की गई समिति, आयोजित की गई बैठकों और उनके परिणामों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त समितियां जनता के लिए विद्युत सेवाओं के प्रावधान पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार करेंगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने जिला स्तर पर विद्युत अवसंरचना की स्थिति का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा जिला स्तर पर विद्युत व्यवस्था में चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : विद्युत मंत्रालय ने जिला स्तरीय समितियां गठित करने के लिए दिनांक 16.09.2021 को एक आदेश जारी किया था जो भारत सरकार की सभी विद्युत संबंधी स्कीमों की निगरानी करेंगी। ये समितियां लोगों की सेवाओं के प्रावधान पर इनके प्रभाव की निगरानी भी करेंगी।

समिति का संघटन निम्नानुसार होगा:

(क)	जिले का वरिष्ठतम संसद सदस्य	अध्यक्ष
(ख)	जिले के अन्य संसद सदस्य	सह-अध्यक्ष
(ग)	जिलाधिकारी	सदस्य सचिव

(घ)	जिला पंचायत का अध्यक्ष/सभापति	सदस्य
(ङ)	जिले के विधायक	सदस्य
(च)	संबंधित जिले में स्थित विद्युत मंत्रालय तथा एनआरई के सीपीएसयूज़ के वरिष्ठतम प्रतिनिधि, अथवा जिले के लिए उनके नामित अधिकारी	सदस्य
(छ)	संबंधित डिस्कॉम/विद्युत विभाग का मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता	संयोजक

समिति, सरकार की स्कीमों के अनुरूप, जिले में विद्युत आपूर्ति अवसंरचना के समग्र विकास की समीक्षा और समन्वय के लिए जिला मुख्यालय में कम-से-कम तीन महीनें में एक बार बैठक आयोजित करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा: -

i. भारत सरकार की सभी स्कीमें (विद्युत संबंधी), उनकी प्रगति और गुणवत्ता मुद्दों सहित।
ii. नियमित प्रचालनों तथा नेटवर्क के अनुरक्षण सहित उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का विकास - उन अतिरिक्त क्षेत्रों को चिह्नित करना जहां सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।
iii. कार्यों का विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर प्रभाव।
iv. कार्य-निष्पादन और उपभोक्ताओं सेवाओं/आपूर्ति की गुणवत्ता के मानक।
v. शिकायतें और शिकायत निपटान तंत्र।
vi. कोई अन्य संबंधित मामला।

यह संयोजक और सदस्य सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि वे नियमित आधार पर बैठकें संचालित करें और समय से बैठकों के कार्यवृत्त जारी करें। राज्यों से इन जिला विद्युत समितियों को अधिसूचित करने और इनकी स्थापना सुनिश्चित करने को कहा गया है। अभी तक, ऐसी सूचना दी जाती है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा राज्यों ने समितियों का गठन अधिसूचित किया है।

(छ) और (ज) : जिला स्तर सहित विद्युत अवसंरचना की स्थिति का कोई मूल्यांकन संचालित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का होता है।

राज्यों की विद्युत अवसंरचना की आवश्यकताओं के अनुपूरण के लिए, विद्युत मंत्रालय ने 3,03,758 करोड़ रूपये के परिव्यय और केंद्र सरकार से 97,631 करोड़ रूपये की अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से दिनांक 20.07.2021 को 'संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - (आरडीएसएस) अधिसूचित की है। इस स्कीम में आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉमों को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए निजी डिस्कॉमों को छोड़कर सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार और प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटरों की संस्थापना का प्रयास किया जाता है। स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तरों तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक करना है।

****